न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारी:– श्री जसमीतसिंह संधू (आई0ए0एस0)

राजस्व वाद पत्र संख्या 115 सन् 2009

1– श्री अशोक कोठारी पुत्र श्री हीरालाल जी कोठारी
2– श्री जितेन्द्र उर्फ जिनेन्द्र कोटारी पुत्र श्री हीरालाल जी
3– श्रीमति किरणदेवी पुत्री हीरालाल जी कोटारी पत्नि श्री प्रमोदकुमार जी ढावरिया
निवासीयान साई का तकिया गली, ब्यावर जिला–अजमेर राज0

------वादीगण

ब ना म

1– श्री रामनिवास पुत्र सुवालाल जी जाति माली
2– श्रीमति भंवरीबाई बैवा सुवालाल जी --मृतक---
3– प्रेमबाई पुत्री सुवालाल जी जाति माली पत्नि शिवलाल जी
4– श्रीमति सुशीलादेवी पुत्री सुवालाल जी पत्नि ओमप्रकाश जी
5– श्रीमति कमलादेवी पुत्री सुवालाल जी पत्नि परसराम जी
समस्त निवासीयान नेहरूनगर बाहर, जैन हाला मंदिर के पास गली नंबर 7, ब्यावर जिला–अजमेर
6– श्री प्रहलाद पुत्र सुवालाल जी माली
7– श्री बंजरगलाल पुत्र सुवालाल जी माली
8– श्री रामलाला पुत्र परसराम जी
9– श्री ओमप्रकाश पुत्र परसराम
10– किरण बालिग पुत्र परसराम जी
11– श्रीमति कमलादेवी पत्नि परसराम जी
कौम माली निवासीयान नेहरूगेट बाहर, ब्यावर जिला–अजमेर राज0
12– मेघराज बोहरा पुत्र नामनामालुम जाति रेगर निवासी भैरूजी की गली, रेगरान मौहल्ला, गोपाल जी मौहल्ला, ब्यावर जिला–अजमेर राज0
13– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर
14– राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक ब्यावर

---प्रतिवादीगण

15– मुकेश कुमार उर्फ भंवरलाल पुत्र शांतिलाल पुत्र चान्दमल
16– त्रितेश बालिग पुत्र शांतिलाल जी
17– श्रीमति सुशीला देवी बैवा शांतिलाल जी
18– कान्तीलाल पुत्र चान्दमल जी
19– ज्ञानचन्द पुत्र चान्दमल जी
20– किस्तुरचन्द उर्फ महावीर पुत्र चान्दमल जी
21– गणेशमल उर्फ उत्तमचन्द पुत्र चान्दमल जी
22– श्रीमति भंवरीदेवी बैवा चान्दमल जी
समस्त जाति बिनायकिया जाति जैन निवासी नयाबास अब्बानी गली, ब्यावर

---तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थन काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक:– 20-08-2019

वादीगण ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किया है, कि मौजा सेदरिया तहसील ब्यावर में खाता संख्या 237 खसरा नंबर 661/1 रकबा 23–17–10 किस्म बारानी–3 स्थित है। वादग्रस्त आराजित वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 15 से 22 की

..................लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

संयुक्त कब्जे काश्त की है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 15 से 22 का 1/2 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 661/1 के पास नाला की भूमि तत्पश्चात में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1936 गांव नयानगर की विद्यमान है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 15 से 22 की वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 का कोई संबंध व सरोकार किसी भी प्रकार से नही है। किन्तु उनकी नियत खराब हो गई है एवं उन्होने अपनी भूमि के पास स्थित बरसाती नाला है, जिसमे बरसाती पानी सकेडो सालों से आता है, को भूर कर अपनी भूमि मिलाते हुये वादीगण के कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी में 15 फिट अन्दर की तरफ चौडाई 400 फीट लगभग लम्बाई अनाधिकृत रूप से वादीगण की कृषि भूमि के भाग पर अवैध रूप से नीवें खोदना चालू कर दिया है, व इन नीवो में पक्की दीवार बनाकर अपनी भूमि खसरा नंबर 1936 में मिलाने पर आमादा है। इसी बदनियती से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 दिनांक 02.12.2009 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 15 से 22 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी पर आये व बरसाती पानी के नाले को बुर कर अपनी भूमि में मिलाते हुये वादीगण की कृषि भूमि में 15 फिट अन्दर व 400 लम्बाई में बिना नगरपरिषद की आज्ञा लिये घुस कर नीवे खोदना चालू किया तो वादीगण ने उन्हें नीवे खोदने व नीवो पर बाउण्ड्री वाल बनाने से मना किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 ने ऐलानिया कहा कि हमने बरसाती नाले को भी अपने में मिला लिया है, व हम तो नीवे खादेंगे व बाउण्ड्री वाल बनायेगे व खसरा नंबर 1936 में मिलाकर रहेंगे अतः वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। अतः निवेदन है कि यह घोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 15 से 22 की संयुक्त खातेदारी कब्जे की आराजी वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 661/1 के किसी भी भाग में नीव खोद कर व उन पर बाउण्ड्री वाल करने का कोई अधिकार नही है। साथ ही यह भी घोषित किया जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के लगते नाले की भूमि को बुरने व अपनी भूमि खसरा नंबर 1936 में मिलाने व उस पर भूखण्ड काट कर अन्तरित करने का कोई हक व अधिकार नही है। तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा नही करे और ना ही वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग में दखअंदाजी नही करे। तथा यदि जबरन कब्जा कर लेवे तो उनके खर्चे पर ध्वस्त कराया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का कब्जा दिलाया जावे।

वपादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावज़ूद सम्मन तामीली के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई। प्रकरण में एकपक्षीय साक्ष्य वादी तलब की गई। साक्ष्य वादी में वादी अशोककोठारी पुत्र हीरालाल जी जाति जैन निवासी ब्यावर का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किया जाकर दस्तावेजात पर प्रदर्श मार्क अंकित किये गये। शेष साक्ष्य वादी बन्द की गई।

प्रकरण में वकील वादी की एकपक्षीय बहस अंतिम सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

....................लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया बाद अवलोकन वादीगण द्धारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 ग्राम सेदरिया की जमाबंदी संवत 2061 से 2064 की प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 236 में अंकित खसरा नंबर 661/1 रकबा 23–17–10 में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 22 का ब.हि.ब 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार से प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2060 से 2063 के खाता संख्या 536 में खसरा नंबर 1936 व 1937 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–3 राजस्व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति है। प्रदर्श–4 राजस्व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया है कि ग्राम सेदरिया की आराजी खसरा संख्या 661/1 रकबा 23–17–10 किस्म बा.3 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 15 से 22 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में कोई कब्जा अथवा अतिक्रमण किया गया हो एवं ना ही ऐसे कोई छाया चित्र प्रस्तुत किये हैं एवं ना ही ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किया है कि जिसके कथनों से यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमियों पर कोई कब्जा किया गया हो। उक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादीगण अपना वाद सिद्ध करने से कासिर रहे हैं।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20-08-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर

व अजलाम जसमीत सिंह संधू आई. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 115/2009

1– श्री अशोक कोठारी पुत्र श्री हीरालाल जी कोठारी
2– श्री जितेन्द्र उर्फ जिनेन्द्र कोटारी पुत्र श्री हीरालाल जी
3– श्रीमति किरणदेवी पुत्री हीरालाल जी कोटारी पत्नि श्री प्रमोदकुमार जी ढाबरिया
निवासीयान साई का तकिया गली, ब्यावर जिला–अजमेर राज0

------वादीगण

ब ना म

1– श्री रामनिवास पुत्र सुवालाल जी जाति माली
2– श्रीमति भंवरीबाई बैवा सुवालाल जी --मृतक---
3– प्रेमबाई पुत्री सुवालाल जी जाति माली पत्नि शिवलाल जी
4– श्रीमति सुशीलादेवी पुत्री सुवालाल जी पत्नि ओमप्रकाश जी
5– श्रीमति कमलादेवी पुत्री सुवालाल जी पत्नि परसराम जी
समस्त निवासीयान नेहरूनगर बाहर, जैन हाला मंदिर के पास गली नंबर 7, ब्यावर जिला–अजमेर
6– श्री प्रहलाद पुत्र सुवालाल जी माली
7– श्री बंजरगलाल पुत्र सुवालाल जी माली
8– श्री रामलाला पुत्र परसराम जी
9– श्री ओमप्रकाश पुत्र परसराम
10– किरण बालिग पुत्र परसराम जी
11– श्रीमति कमलादेवी पत्नि परसराम जी
कौम माली निवासीयान नेहरूगेट बाहर, ब्यावर जिला–अजमेर राज0
12– मेघराज बोहरा पुत्र नामनामालुम जाति रेगर निवासी भैरूजी की गली, रेगरान मौहल्ला, गोपाल जी मौहल्ला, ब्यावर जिला–अजमेर राज0
13– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर
14– राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक ब्यावर

---प्रतिवादीगण

15– मुकेश कुमार उर्फ भंवरलाल पुत्र शांतिलाल पुत्र चान्दमल
16– त्रिद्वतेश बालिग पुत्र शांतिलाल जी
17– श्रीमति सुशीला देवी बैवा शांतिलाल जी
18– कान्तीलाल पुत्र चान्दमल जी
19– ज्ञानचन्द पुत्र चान्दमल जी
20– किस्तुरचन्द उर्फ महावीर पुत्र चान्दमल जी
21– गणेशमल उर्फ उत्तमचन्द पुत्र चान्दमल जी
22– श्रीमति भंवरीदेवी बैवा चान्दमल जी
समस्त जाति बिनायकिया जाति जैन निवासी नयाबास अब्बानी गली, ब्यावर

---तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी................मिनजामिन मुददई रूबरू..................मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

.................लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
श्री अशोक कोठारी व अन्य बनाम श्री रामनिवास व अन्य
राजस्व वाद संख्या 115/2009
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निजी..................मुबलिक..................बाबत...............खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक..................की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 20-08-2019 को जारी किया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.09 16:16:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: